बिहार सरकार
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार में निवासित अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) छात्र/छात्राओं के लिए संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर तथा कैम्प एट जिला सिवान, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर एवं सुपौल में सत्र 2026–27 में वर्ग–9वीं एवं वर्ग–11वीं (कला एवं विज्ञान संकाय) में नामांकन के लिए आवश्यक सूचना।

नामांकन हेतु आवश्यक सूचना

आवेदन हेतु प्रात्रता

- आवासीय विद्यालयों में वर्ग–9वीं के लिए नामांकन हेतु अधिकतम आयु सीमा **16** वर्ष तथा **वर्ग–11वीं के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए।** विद्यालय में नामांकन परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार होगा।
- अभ्यर्थियों की अधिकतम परिवारिक वार्षिक आय छः लाख रूपये होनी चाहिए।
- बिहार राज्य में निवासित अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों यथा–मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन एवं पारसी के छात्र/छात्राऐं कक्षा 09वीं एव 11वीं में नामांकन हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड में पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत/उत्तीर्ण वस्तानिया के छात्र/छात्राऐं कक्षा 09वीं तथा फौकानिया में अध्ययन/उत्तीर्ण छात्र/छात्राऐं कक्षा 11वीं में नामांकन हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।
- आवेदन ऑनलाईन विभागीय बेवसाईट **https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html** पर उपलब्ध पोर्टल से किया जा सकेगा। ऑनलाईन आवेदन भरने के बाद छात्र/छात्राओं के द्वारा भरे गए आवेदन फॉर्म को बेवसाईट से डाउनलोड कर प्रिन्ट आउट निकालकर संबंधित जिला के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में स्वं अथवा रजिस्टर्ड डाक से जमा करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश परीक्षा हेतु प्रवेश–पत्र ऑनलाईन विभागीय बेवसाईट **https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html** के पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकेगा
- ऑनलाईन आवेदन भरते समय अभ्यर्थियों को अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति, आय, आवासीय प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति (यदि उतीर्ण हो), फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं उम्र सीमा संबंधी प्रमाण पत्र को निर्धारित स्थान पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
- बिहार में निवासित अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी) छात्र/छात्राओं के लिए संचालित बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के वर्ग 09वीं से 12वीं तक में छात्र/छात्राओं के नामांकन हेतु विज्ञापन संख्या–**PR-027478(MWD) 2025-26** प्रकाशित की गयी है, जिसमें आंशिक संशोधन करते हुए बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर एवं कैमूर के वर्ग 09वीं एवं 11वीं मे छात्र/छात्राओं के नामांकन के साथ–साथ सिवान, पूर्णिया, सहरसा, मुंगेर एवं सुपौल जिलों में सत्र 2026–27 वर्ग–9वीं एवं वर्ग–11वीं (कला एवं विज्ञान संकाय) के लिए छात्र/छात्राओं के नामांकन हेतु आवेदन लिया जाना है, जिसे उक्त 05 विद्यालयों के निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् संबंधित छात्र/छात्राओं को उक्त विद्यालयों में स्थानान्तरित कर दिया जायेगा।
- **विज्ञापन सं०–PR–027478(MWD)2025–26 के आलोक में जिन छात्र/छात्राओं के द्वारा वर्ग–10वीं एवं 12वीं में आवेदन किया गया है, को विलोपित किया जाता है।**

निःशुल्क आवासीय शिक्षा

आवेदन करने की तिथि–

01.04.2026 से 01.05.2026 तक

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, नालंदा
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कटिहार
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, कैमूर
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, जमुई
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुजफ्फरपुर
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सिवान (कैंप–नालंदा)
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, पूर्णिया (कैंप–कटिहार)
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सहरसा (कैंप–कैमूर)
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, मुंगेर (कैंप–जमुई)
अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, सुपौल (कैंप–मुजफ्फरपुर)

प्रमुख विशेषताऐं:–

- अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिभावान विद्यार्थियों को चयनित कर उनको सर्वागिण विकास हेतु उन्हें मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक रूप से सक्षम बनाने का उद्देश्य।
- नौवीं से बारहवीं तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था।
- आवासीय विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क (free) नामांकन के साथ निःशुल्क (free) आवासन (भोजन, वस्त्र, दवा, पुस्तक) आदि की आधुनिकतम सुविधा।
- आधुनिक सुविधायुक्त प्रयोगशाला।
- उच्च माध्यमिक कक्षाओं (Intermediate) में PCM, PCB, ARTs आदि विषयों के पठन–पाठन की सुविधा।

आवेदन प्रक्रिया की तिथि

आवेदन पत्र समर्पित करने की तिथिः– 01.04.2026 से 01.05.2026 तक
फार्म में डाटा संशोधन करने की तिथिः–02.05.2026 से 04.05.2026 तक
प्रवेश–पत्र डाउनलोड करने की तिथिः–12.05.2026 से 16.05.2026 तक
परीक्षा तिथिः– 17.05.2026
परीक्षाफल प्रकाशन की तिथिः– 28.05.2026
नामांकन की तिथिः–01.06.2026 से 06.06.2026 तक
सत्र प्रारम्भ की तिथिः–08.06.2026

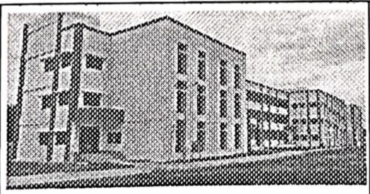
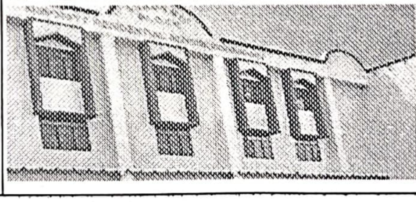

सामान्य विशेषताऐं:–

(क) अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में वर्ग–9वीं एवं वर्ग–11वीं में नामांकन 100 अंको के वस्तुनिष्ठ परीक्षा के आधार पर होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो घंटो की होगी।

(ख) बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय योजना से संबंधित संकल्प संख्या–अ०स०क० 01–04–24–01/2017–441, दिनांक–23.05.2018 के आलोक में मार्गनिर्देशिका की कंडिका–04 के अनुसार विद्यालय में 50 प्रतिशत सीटे बालिकाओं के लिए आरक्षित होगी। बालक और बालिका दोनो वर्गो में 75 प्रतिशत ग्रामीण विद्यार्थियों के लिये आरक्षित रहेगा। शैक्षणिक संस्थानों में लागू आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।

(ग) राज्य सरकार के अधीन शिक्षण संस्थाओं में लागू आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।

नोटः–विस्तृत जानकारी के लिए अपने जिला के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में सम्पर्क करें या विभाग के वेबसाईट– https://state.bihar.gov.in/minoritywelfare/CitizenHome.html पर लॉग इन करें।

विशेष सचिव–सह–निदेशक